न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 377/2022

दर्शन सिंह पुत्र श्री जगर सिह जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमागनढ। ——अपीलार्थी

बनाम

1. बलदेव सिंह पुत्र श्री हंसराज जाति बालमिकी निवासी वार्ड नं. 14 गली नं. 11 मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिह जाति बाजीगर निवासी गली नं. 6 नजदीक पुराना पटवार घर, डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. सरजीत कौर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति बाजीगर निवासी गली नं. 6 नजदीक पुराना पटवार घर, डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. कलावती पत्नी हंसराज जाति बालमिकी निवासी वार्ड नं. 14 गली नं. 11 मक्कासर तहसील व जिला हनुमागनढ।
5. सुभाष पुत्र श्री हंसराज जाति बालमिकी निवासी वार्ड नं. 14 गली नं. 11 मक्कासर तहसील व जिला हनुमागनढ।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत 225 आरटीएक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.10.2022 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ। प्रकरण सं0 23/2021 अनवान बलदेव सिंह बनाम महेन्द्र सिंह आदि

उपस्थितिः—

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

श्री वतनदीप सिह मान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2, 3

27/10/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 27/10/23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 आरटीए का एक प्रार्थना–पत्र पेश किया प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम से चक 6 एसटीजी तहसील हनुमानगढ के खाता सं0 24/22 खाता कलावती आदि जमाबंदी संवत 2077–80 के प. नं. 92/270 मुरबा नं. 66 के किला नं. 21 ता 23, प. नं. 91/270 मुरबा नं. 67 किला नं. 24, 25 प. नं. 91/271 मुरबा नं. 73 किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17 प. नं. 92/271 मुरबा नं. 74 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20 कुल 6.325 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम 3.795 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और हंसराज वल्द जगराम के नाम 2.530 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो फौत हो चुके हैं। जिनके जायज व कानूनी वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3, 4 हैं तथा हंसराज वल्द जगराम के नाम दर्ज 2.530 है0 आरजी का किसी अन्य के साथ विवाद चल रहा है जो माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। प्रार्थी की भूमि प्रार्थी के नाम प्रार्थना पत्र की दफा दो में वर्णित भूमि है जिसमें आने जाने के लए प्रार्थी के पास कोई मन्जूरशुदा रास्ता नही है तथा मन्जूरशुदा रास्ता के अभाव में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में काश्त करने मे भारी असुविधा हो रही है। प्रार्थी ने प. नं. 91/271 मुरबा नं. 73 किला नं. 1 ता 3 में डेढ, डेढ बिस्वा यानि 12 फुट अर्थात 0. 019 है0 प्रत्येक बीघा में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प. नं. 91/271 मुरबा नं. 73 किला नं. 18 ता 20 में रास्ता स्वीकृत किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मुझ अपीलांट की भूमि में रास्ता बाबत तहसीलदार से कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई थी जो कि मंगवानी अति आवश्यक थी परन्तु मातहत अदालत ने

27/10/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 बलदेव सिंह की भूमि में मुरबा लाईन 92 पर स्थित रास्ता से पत्थर नं. 92/271 के किला नंबर 4 ता 7, 14 ता 17 में से मुख्य रास्ता मात्र दो बीघा दूरी पर ही है परन्तु अदालत मातहत ने बिना कोई मौका रिपोर्ट मंगवाये मुझ अपीलांट के खेत की तरफ 3 बीघा दूरी का रास्ता मन्जूर किया है जबकि कानूनन कम दूरी का रास्ता ही मन्जूर किया जा सकता है, परन्तु अदालत ने उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिजी के है। अपीलाण्ट एक छोटा काश्तकार है जिसके पास मात्र लगभग अढाई बीघा जमीन है जिसमे से रास्ता मन्जूर किया जाता है तो अपीलाण्ट का खेत काश्त योग्य नहीं रहेगा तथा अपीलाण्ट को आर्थिक हानि होगी परन्तु मातहत आलत ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिजी के है।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 की भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया है। अपीलाधीन आदेश उभयपक्षों को सुनकर पारित किया गया है। रास्ता स्वीकृत करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 251–क में केवल दो बिन्दूओं पर ही निर्णय किया जाता है। प्रथम रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और दूसरा वैकल्पिक रास्ते साधन का अभाव। रेस्पोडेण्ट सं0 1 को रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता एवं रेस्पोडेण्ट के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट आने के बाद ही प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. रेस्पोडेण्ट सं0 2 व 3 ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 की बहस का समर्थन करते हुए हुए अपील अपीलाण्ट खारिज करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

27/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण रास्ता स्वीकृत करने हेतु चक 5 एसटीजी के प. नं. 91/271 मुरबा नम्बर 73 के किला नं. 1 से 3 में रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा था। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा 6 एसटीजी के प. नं. 91/271 (73) किला नं. 18 से 20 में प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट की भूमि के संबंध में तहसीलदार से कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई, जो कि कानूनन मंगवाई जानी आवश्यक थी। रेस्पोडेण्ट सं0 1 बलदेव सिंह की भूमि में मुरबा नं. 92 पर स्थित रास्ता से पत्थर नंबर 92/271 के किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17 मे से मुख्य रास्ता मात्र दो बीघा दूरी पर ही है परन्तु मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के खेत की तरफ 3 बीघा दूरी का रास्ता मन्जूर किया है जबकि कानूनन कम दूरी का मन्जूर किया जाना चाहिए था। इस बिन्दू पर पर विवेचन किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.10.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्बन्धित तहसीलदार से प्रश्नगत रास्ता की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/10/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/10/23

(अशोक कुमार मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner